न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 80/2023

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा प्लॉट नं0 ए 58 ए, भूतल, स्कीम नं. 10 ए, रिद्धी सिद्धी चौराहे के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राज0 302017 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रामकृष्ण ।

...प्रार्थी कंपनी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री गनी मोहम्मद पुत्र श्री मुंशी खान निवासी पीली कोठी, ग्राम रामगढ, पंचायत समिति महवा, तहसील महवा जिला दौसा राज0 321608

अप्रार्थीगण/ऋणी

2. श्रीमती रूकसाना बानो पत्नि श्री गनी मोहम्मद निवासी फकीर मौहल्ला, ग्राम रामगढ तहसील महवा जिला दौसा राज0 321608

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांक: 23.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक को सुना गया। हमने प्रार्थी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र सं0 /2023

शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति के समस्त अंश व खंड श्री गनी मौहम्मद पुत्र श्री मुंशी खान की पटटा नं0 33 ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति महवा जिला दौसा में स्थित आवासीय संपत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 123 वर्गगज है), का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा